न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

संख्या 39/2018(98/दावा/95 — पीठासीन अधिकारी
कन्सोलिडेट प्रकरण संख्या 38/दावा/96) — श्रीमती भावना सिंह(RAS)
दायरा दिनांक 19.02.2018

बउनवान

1.माधो पुत्र कल्याण जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड खेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।(मृतक)

1/1. श्रीमती गेदी बाई विधवा पत्नी माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0।

1/2. सत्यनारायण पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0।

1/3. सीताराम पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0।

1/4. कमलेश पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0।

1/5. हरीनारायण पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0।

1/6. श्रीमती बीना पत्नी महावीर पुत्री माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0।

–वादीगण

बनाम

1.किशनगोपाल पुत्र कजोड जाति धाकड़ (मृतक)

1/1. रामजीलाल पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड़ ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।(मृतक)

1/1/1 श्रीमती विरधी पत्नी रामजीलाल जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।

1/1/2 महावीर पुत्र रामजीलाल जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।

1/1/3 श्रीमती मंजु पत्नी जगदीश जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।

1/1/4 श्रीमती सुशीला पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।

1/2. तुलसी राम पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड़ पेशा अध्यापक निवासी ग्राम धाकडखेडी हाल निवासी सुमेरगंजमण्डी इन्द्रगढ़, राज0।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

. धनश्याम पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड पेशा काश्त निवासी ग्राम धाकडखेडी सील इन्द्रगढ़, राज0।

1/4. सुरज बाई पत्नी रामप्रसाद पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।

1/5. मोहन लाल पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।

1/6. बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड नाबालिक जरिये माता सुरज बाई पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।

1/7. फोरन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति धाकड अवयस्क निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ., जिला बून्दी, राज0।

1/8. मथुरा बाई पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।

1/9. परसन बाई पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।

1/10. मोहनी बाई पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।

2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः— 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय (एडवोकेट वादीगण)
2. प्रतिवादीगण (एकपक्षीय कार्यवाही)

दिनांकः— 17.01.2025

निर्णय

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट का पेश कर कथन किया कि आराजी के पुराने खसरा संख्या 39 रकबा 3बीघा 17बिस्वा, खसरा संख्या 81 रकबा 3बीघा 17बिस्वा, खसरा संख्या 82 रकबा 17बिस्वा, खसरा संख्या 83 रकबा 7बिस्वा, खसरा संख्या 84 रकबा 4बीघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 81/187 रकबा 2बीघा 11बिस्वा वाके ग्राम व माल धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है जिसके नये बन्दोबस्ती नम्बर निम्न प्रकार है खसरा संख्या 39 के नये खसरा संख्या 82 रकबा 0.71है0, खसरा संख्या 81 के नये खसरा संख्या 93 रकबा 0.46है0, खसरा संख्या 82 के नये खसरा संख्या 82 रकबा 0.71है0, खसरा संख्या 83 के नये खसरा संख्या 182 रकबा 0.05है0, खसरा संख्या 84 के नये खसरा संख्या 183 रकबा 0.35है0, खसरा संख्या 81/187 के नये खसरा संख्या 157 रकबा 0.28 है0 बने है। वाद विषयक आराजी के खसरा संख्या 39,81,82,83,84,81/187 वाके ग्राम धाकडखेड़ी में से खसरा संख्या 84 के पूर्ण रकबे में से 3बीघा 14बिस्वा रकबा तथा शेष खसरा नम्बरान का पूर्ण रकबा कुल रकबा 15बीघा 10बिस्वा भूमि पर वादी विगत करीब 24वर्षों से अर्थात् 25मई 1971 से निर्बाध व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रूप से खुल्लम खुल्ला तरके से बिना किसी रोक टोक के प्रतिवादी किशनगोपाल की जानकारी में काबिज चला आ रहा है और उक्त भूमि पर काश्त करते हुए प्रतिवादी सं 2 को राजस्व कर आदि आदयगी करता चला आ रहा है। इस प्रकार वादी सन् 1971 से निरन्तर काबिज रह कर वाद विषयक आराजी पर 12 साल से जायद कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार बन गया है और वादी उक्त आराजी पर पर्ण स्वामित्व के साथ काबिज है। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं 2 के अधीनस्त कर्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रतिवादी सं 1 के नाम भूमि गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों में तथाकथित इन्द्राज के आधार पर अनाधिकृत तरीके से वादी को परेशान करने लगा है और वादी के काश्तकारी काम में व्यवधान उत्पन्न करने लगा है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं 1 का वाद विषयक भूमि पर यदि पहले कोई स्वत्व रहा भी हो तो सन् 1971 से निरन्तर 12वर्ष से जायद वादी कब्जे के आधार पर कब्जा मुखालफाना से वादी के हक में खातेदार अधिकार निहित हो जाने के कारण प्रतिवादी सं 1 का अब कोई अधिकार/स्वत्व नहीं रहा है। उक्त भूमि को वादी के कब्जे से विधिवत तरीके से वापस लेने का अधिकार अवधि बाधित हो चुका है। प्रतिवादी सं 1 किशनगोपाल ने दिनांक 25मई 1971 को उक्त वादग्रस्त आराजी संबंधी एक बेचान का इकरार वादी के पक्ष में 10रु के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखावट करते हुए गवाहान की उपस्थिति में निष्पादित किया था। उक्त इकरार के समय प्रतिवादी सं 1 ने वादी से 4850रु नकद प्राप्त करके बाकि रकम 8800रु 8 किस्तों में 1100रु प्रति साल के हिसाब से प्राप्त करने बाबत वादी से मुहयदा करते हुए कब्जा भूमि वादी को संभला दिया था और किश्त नहीं देने की सूरत में जमीन पर कब्जा वापस करने बाबत लिखावट की गई थी। उक्त इकरार के समय से ही वादी निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी सं 1 कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादी के अधिकार व कब्जे की वादग्रस्त आराजी पर चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखल पैदा करे साथ ही वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि पर अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करवाते हुए प्रतिवादी सं 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्राप्त करें। वादी ने कई बार प्रतिवादी से कहा कि वह उक्त भूमि को वादी के नाम खाते लगवा दे पहते तो प्रतिवादी हां करते हुए टालम–टोल करता रहा अन्त में दिनांक 30.09.95 को स्पष्ट रूप से मना करते हुए वादी से लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हुआ और कहने लगा कि मैं तो उक्त भूमि को जबरदस्ती तुम्हारे कब्जे से छीनूंगा और तुम्हे चैन से काश्तकारी नहीं करने दूंगा। यही वाद का करण है जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। वाद ग्रस्त आराजी बाबत् एक वाद बाबत निषेधाज्ञा दिनांक 27.10.1971 को एस0डी0ओ0 कोटा की अदालत में पेश किया था जो दिनांक 13.10.1972 को खारिज हो चुका है। उक्त वाद में वाद ग्रस्त आराजी के बेचान का इकारार लिखा जाना व इकारार किया जाना प्रतिवादी सं 1 ने अपने प्लीडिंग्स की चरण संख्या 2 में स्वीकार किया है। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित वाद विषयक आराजी के बाद बंदोबस्त बनाये गये नये खसरा नम्बरान पर वादी को खातेदार कृषक के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी सं 1 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे एवं प्रतिवादी सं 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंदी किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं 1 के कायम मुकाम द्वारा जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वादी का वाद विषयक भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी ने कोई विक्रय का इकरार नहीं किया और न ही वादी को भूमि पर कब्जा दिया गया था । बतौर मालिक खातेदार प्रतिवादीगण ही काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है तथा समय पर लगान देते आ रहे है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त इकरार नामा के आधार पर दावा सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

माननीय न्यायालय ए0सी0एम0 के0पाटन द्वारा दिनांक 29.05.2000 को प्रकरण संख्या 38/दावा/1996 बउनवान किशनगोपाल बनाम माधोलाल को इस वाद के साथ कन्सोलिटेड किया गया एवं पत्रावली में निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी सं01:– आया वादी विवादित आराजीयात पर वर्ष 1971 से काबिज होकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है ? –वादी

तनकी सं0 2 आया वादी विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? –वादी

तनकी सं0 3 आया प्रतिवादी विवादित आराजीयात पर काबिज है और वादी को कोई विक्रय नहीं किया जिससे वादी का वाद खारिज होने योग्य है? –प्रतिवादी

तनकी सं0 4 अनुतोष।

पत्रावली में वादी के साक्ष्य करवाये गये। वादी एवं वादी के गवाह पी0डब्लू01 माधो आ0 कल्याण, पी0डब्लू02 प्रभूलाल आ0 माधोलाल, पी0डब्लू03 किशनगोपाल आ0 भूरा, पी0डब्लू04 रामकुमार के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए गए एवं वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 प्रदर्श–2, खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–4,5, लगान की रसीद प्रदर्श–6 लगायत प्रदर्श–15 प्रदर्श करवाये। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी में तलब की जाने से माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाई गयी। निगरानीकारान की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 23.03.2017 से खारिज होने पर पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर आदेशिका दिनांक 19.02.2018 की पालना में पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारन को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनकी विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली बहस में नियत की गयी।

हमने बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी। दोराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि वादीगण की ओर से पत्रावली में लिखित बहस पेश की हुई जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित वाद विषयक आराजी जिसे प्रतिवादी किशन गोपाल ने वादी माधोलाल से दिनांक 25.05.1971 को विक्रय का करार किया जिसके बाबत् दिनांक 25.05.1971 को प्रतिफल राशि 4850रु इकरार नामा लिखते समय नकद अदा किये गये तथा करार अनुसार बकाया राशि 8किश्तों में प्रति साल 8800रु आठ साल में वादी ने प्रतिवादी किशन गोपाल को अदा कर इकरार नामा की शर्तों की पूर्ण पालना कर दी। इकरार नामा श्री कृष्ण शर्मा इन्द्रगढ़ की कलम

उपखण्ड अधिकारी
(बून्दी)

रु की स्टाम्प पर लिखा जा कर उस पर प्रतिवादी किशन गोपाल ने अपने हस्ताक्षर रूबरू हान किशन गोपाल ने किये तथा गवाहान किशनगोपाल पुत्र भूरा मीना व नन्दलाल आर्य सी नीमसरा ने अपने हस्ताक्षर बतोर गवाही किये। पत्रावली में वादी व गवाहान के बयान करा कर इकरार नामा साबित किया है जबकि प्रतिवादी किशनगोपाल की मृत्यु के बाद उनके कायम मुकामान ने कुछ समय न्यायालय में उपस्थिती दी तथा बाद में सम्पूर्ण आराजियात का विक्रय पत्र दोराने दावा तृतीय पक्ष श्रीमती बीना कुमारी पत्नी विष्णुप्रसाद महाजन व श्रीमती नीलम पत्नी नरेश कुमार जाति महाजन निवासी सुमेरगजमण्डी इन्द्रगढ़ को करा दिया जिनको मुकदमें में पक्षकार बनाने बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध श्रीमती बीना कुमारी आदी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जो दिनांक 23.03.2017 को खारिज कर पत्रावली श्रीमान न्यायालय में वापस प्राप्त हुई। तनकी संख्या 1 को वादी द्वारा साबित करने का प्रश्न है जिसके संबंध में दिनांक 25.05.1971 को इकरारनामा लिख कर प्रतिवादी माधोलाल ने वादी का इकरार नामा की शर्तो के अनुसार कब्जा वास्तिवक रूप से सम्भलाया है इस कारण इकरार नामा की शर्तो के अनुसार वादी विवादित आराजियात का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी से कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकार खो चुका है। स्वयं प्रतिवादी ने न्यायालय में दिनांक 27.10.1971 को एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर चुका है इस प्रकरण में प्रतिवादी माधोलाल जो इस वाद में वादी है ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए दिनांक 25.05.1971 के इकरार नामा के आधार पर कब्जा प्राप्त करना अंकित किया था। उक्त वाद को सक्षम न्यायलय द्वारा दिनांक 13.10.1972 को खारिज कर दिया गया था। अन्त में वादी का वाद पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाते हुए हमफीता वाद को खारिज करने का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1996 आर0बी0जे0 पेज संख्या 102, 1992 आर0आर0डी0 पेज संख्या 414, 1996 आर0आर0डी0 पेज संख्या 104, 2019 आर0बी0जे0 पेज संख्या 578, भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 सेक्शन 21,22 पेश किए।

इस वाद के साथ प्रकरण संख्या 38/दावा/1996 बउनवान किशनगोपाल बनाम माधोलाल हमफीता होना से बहस उपरान्त हम उक्त दोनो वाद के निम्नानुसार तनकीवार विवेचन की आरे अग्रसर होते है–

तनकी सं01:– आया वादी विवादित आराजीयात पर वर्ष 1971 से काबिज होकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद कथन में अंकित किया कि उसके द्वारा इकरारनामा शर्त अनुसार राशि देकर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से वह क्रयशुदा भूमि पर काविज चला आ रहा है। अतः कब्जे व मालिकाना हक के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादीगण अपने वाद कथन को साबित करने हेतु दिनांक 25.05.1971 का हस्तलिखित इकरारनामा प्रस्तुत किया तथा इकरारनामा के गवाहान के बयान करवाये गये। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि वादीगण जिस दस्तावेज को आधार बनाकर यह वाद लाये है वह अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादी को इस न्यायालय में वाद लाने का कोई कानूनी आधार ही नहीं बनता है। वादीगण भूमि पर काबिज होने और अपने मालिकाना अधिकारों का दावा करता भी है तो उसके द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे निरन्तर रूप से उसके विवादित आराजी पर काबिज होने की पुष्टि हो सके।

अतः वादीगण दस्तावेजी रेकार्ड/साक्ष्य के आधार पर अपने हक में साबित करने में विफल रहने से वादीगण यहां किसी प्रकार का अनुतोष का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 2 आया वादी विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर ही था। वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 में विवादित आराजी को क्रय करने उपरान्त अपना कब्जा/मालिकाना हक बताया था उसी आधार पर वाद में स्थाई निषेधाज्ञा की मांग भी की है लेकिन यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है तथा वादीगण तनकी संख्या 1 को अपने हक में साबित करने विफल रहा है ऐसी स्थिति में रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है अतः वादीगण की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है। वादीगण यहां भी किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं है। अतः इस तनकी को भी विरूद्ध वादीगण निर्णित किया जाता है।

तनकी सं0 3 आया प्रतिवादी विवादित आराजीयात पर काबिज है और वादी को कोई विक्रय नहीं किया जिससे वादी का वाद खारिज होने योग्य है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत होने के उपरान्त अपनी ओर से भी दिनांक 13.02.1996 को स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद [redacted] प्रस्तुत किया है जो इस वाद के साथ कन्सोलिडेट है। कन्सोलिडेट वाद के संलग्न वाद संख्या 38/दावा/1996 बउनवान किशनगोपाल बनाम माधोलाल के साथ प्रस्तुत रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् ग्राम धाकडखेडी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार है लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर आता है कि एक अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर यह तथ्य संज्ञान में लाये गए थे कि खातेदार द्वारा उक्त भूमि का बैचान उसके हक में किया जा चुका है लेकिन प्रतिवादी की ओर से उसे भूमि बैचान किए जाने के तथ्य को पत्रावली में उपलब्ध हो ही रहे है। ऐसी स्थिती में प्रतिवादी का भी भूमि बैचान उपरान्त विवादित अराजीयात पर कोई अधिकार शेष नहीं रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा काफी समय से कार्यवाही में भाग नहीं लिया जाना इस बात को सावित करने के लिए पर्याप्त आधार है। प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से अपने वाद कथनों को सावित करने में विफल रहे है। यहां प्रतिवादीगण इस तनकी में किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध में निर्णत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सं0 4 अनुतोष।

यपक्ष किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

आदेश

उक्तानुसार वादीगण अपने हक में तनकी संख्या 1 व 2 को साक्ष्य/रेकार्ड से साबित करने में पूर्णतः विफल रहे है जहां तक प्रतिवादीगण का प्रश्न है तो प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने हक की तनकी संख्या 3 को साबित नहीं किया जा सका है और न ही उनके द्वारा वाद कार्यवाही में भाग लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण भी अपने कंसोलिडेट वाद संख्या 38/1996 में किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 39/2018(98/95) एवं इस वाद के संलग्न प्रतिवादीगण के वाद संख्या 38/1996 दोनों को खारिज किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....

व इजलास.....श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).....

1.माधो पुत्र कल्याण जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड बनाम खेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।(मृतक)

1/1. श्रीमती गेदी बाई विधवा पत्नी माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0।

1/2. सत्यनारायण पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी, राज0। वगै0

—वादीगण

1.किशनगोपाल पुत्र कजोड जाति धाकड़ (मृतक)

1/1. रामजीलाल पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड़ ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।(मृतक)

1/1/1 श्रीमती विरधी पत्नी रामजीलाल जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।

1/1/2 महावीर पुत्र रामजीलाल जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0। वगै0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 39/दावा/2018(98/दावा/1995 व कन्सोलिडेट वाद संख्या 38/1996) सन् .....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी.....वादीगण अधिवक्ता श्री बाल कृष्ण उपाध्याय .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 39/2018(98/95) एवं इस वाद के संलग्न प्रतिवादीगण का वाद संख्या 38/1996 दोनों को खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 01 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

P.T.O

1/3. सीताराम पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला
1/4. कमलेश पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
1/5. हरीनारायण पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
1/6. श्रीमती बीना पत्नी महावीर पुत्री माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम धाकड़खेडी तहसील इन्द्रगढ़,
जिला बून्दी, राज0।

—वादीगण

बनाम

1/1/3 श्रीमती मंजु पत्नी जगदीश जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।
1/1/4 श्रीमती सुशीला पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड ग्राम खातोला तहसील अलीगढ़ जिला टोंक, राज0।
1/2. तुलसी राम पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड़ पेशा अध्यापक निवासी ग्राम धाकडखेडी हाल निवासी सुमेरगंजमण्डी इन्द्रगढ़, राज0।
1/3. धनश्याम पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड पेशा काश्त निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।
1/4. सुरज बाई पत्नी रामप्रसाद पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।
1/5. मोहन लाल पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।
1/6. बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड नाबालिक जरिये माता सुरज बाई पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।
1/7. फोरन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति धाकड अवयस्क निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ., जिला बून्दी, राज0।
1/8. मथुरा बाई पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।
1/9. परसन बाई पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।
1/10. मोहनी बाई पुत्री किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील इन्द्रगढ़, राज0।
2.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)